कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/23/2026/4209 दिनांक : 09/10/2026

–::आदेश::–

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रथम नियुक्ति दिनांक से 18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लेखा शाखा द्वारा निम्न तालिका में उल्लेखित कर्मचारीगण के वांछित चयनित वेतनमान/एसीपी/एमएसीपी के क्रम में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 04 में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वांछित एसीपी/एम.ए.सी.पी. का लाभ एतद्द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित/स्वीकृत किया जाता है :–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पद व पदस्थापन न्यायालय का नाम सर्व श्री	कर्मचारीगण की प्रथम नियुक्ति दिनांक, पद विवरण	कर्मचारीगण की वांछित 9/18/27 की सेवा पूर्ण किये जाने की दिनांक	अन्य विवरण
01	02	03	04	05
1.	सुनील गुप्ता, **स्टेनों ग्रेड ग्रेड–I** न्यायालयः– विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोस्को एक्ट केसेज) क्रम– 02, जयपुर महानगर–II	19.06.1999 स्टेनों ग्रेड–III	कर्मचारी के 03 संतान होने के क्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना No. F.15(1)FD/Rules/2017 Pt Jaipur, dated 06 Oct 2023 के कम में 27 वर्षीय तृतीय एसीपी/एमएसीपी **तीन वर्ष स्थगित** की जाती हैं।	कर्मचारी श्री सुनील गुप्ता, स्टेनोंग्राफर ग्रेड–I के दिनांक 01.06.2002 (स्टेनों के क्रम में दिनांक 06.07.2010) के पश्चात् तीसरी संतान का जन्म (दिनांक 11.11.2016) होने के कारण कर्मचारी को देय 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी./एमएसीपी का लाभ वित्त विभाग की अधिसूचना No. F.15(1)FD/Rules/2017 Pt Jaipur, dated 06 Oct 2023 के कम में नियुक्ति दिनांक 19.06.1999 से तीन वर्ष स्थगित किये जाने पर दिनांक 19.06.2029 को नियमानुसार देय होगी। अतः श्री गुप्ता को निर्देशित किया जाता हैं कि तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी/एमएसीपी के लिये आवेदन पुनः वर्ष 2029 में नियमानुसार प्रस्तुत करें।
2.	राजेश कुमार मण्डावरिया, **स्टेनों ग्रेड ग्रेड–I** न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश भष्ट्राचार निवारण अधिनियम, क्रम– 03, जयपुर महानगर–II	17.06.1999 स्टेनों ग्रेड–III	27 वर्ष 17.06.2026	––
3.	अशोक कुमार शर्मा, **स्टेनों ग्रेड ग्रेड–III** न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम– 11, जयपुर महानगर–II	14.10.1998 स्टेनों ग्रेड–III	27 वर्ष 14.10.2025	––
4.	चिरंजी लाल वर्मा, **लिपिक ग्रेड–II** न्यायालयः– विषिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एन. आई.एक्ट, क्रम– 11, जयपुर महानगर–II	18.07.2008 च0श्रे0क0	18 वर्ष 18.07.2026	*राज्य सरकार की अधिसूचना नंबर–एफ14 (88)एफडी(रुल्स) /2008–1 जयपुर दिनांक 31.12.2009 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत होने की स्थिति में* कर्मचारी को वांछित 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी/एमएसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 18.07.2008 के आधार पर दिनांक18.07.2026 को स्वीकृत किया जाता हैं।

नोटः–

01. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका/सेवारोल में किया जावें।
02. उपरोक्त आदेश के तहत जिन कर्मचारीगण को वांछित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी./एमएसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया हैं, उनके वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश इस कार्यालय द्वारा पृथक से जारी किए जावेगें।

–sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/23/2026/4210 दिनांक : 09/10/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय।
04. संबंधित कर्मचारी
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

09.10.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय